पत्रांक–2ब० / बजट–14–11 / 2019 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
शुद्धि पत्र

राज्य में लागू नई वित्तीय प्रणाली CFMS Module द्वारा राशि के आवंटन / हस्तांतरण में आ रही कठिनाईयों के फलस्वरूप वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुरूप विभागीय राज्योदश सं०– 20, दिनांक– 11.06.2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

i) कंडिका– 2 में वर्णित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ के स्थान पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग स्थापित किया जाता है।

ii) उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि को प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर पंचायत, मोहनियाँ के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

2. उक्त राज्यादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेगी।

8.8.19

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / बजट–14–11 / 2019 4257 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 13/08/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, मोहनियाँ / प्रबंध निदेशक, बुडको / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग / लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु / कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.19

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–11/2019 20 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 11/06/19

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹71.48776 लाख (एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ छिहत्तर रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण संबंधित स्तम्भ– 03 में अंकित योजना के लिए स्तम्भ– 04 में अंकित तकनीकी अनुमोदन के राशि के अनुरूप योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 05 में अंकित कुल ₹71.48776 लाख (एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ छिहत्तर रु०) मात्र की स्वीकृति नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर पंचायत, मोहनियाँ	पुरानी कचहरी से मेन नाला तक ह्यूम पाईप (NP-4) एवं पी०सी०सी० पथ निर्माण कार्य।	71.41776	71.41776

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹71.48776 लाख (एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ छिहत्तर रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत कुल ₹71.48776 लाख (एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ छिहत्तर रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. स्वीकृत कुल राशि ₹71.48776 लाख (एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार सात सौ छिहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) *योजना का कार्यान्वयन नगर पंचायत, मोहनियाँ द्वारा किया जायेगा।*

(ii) जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब० / बजट–14–11 / 2019 के पृष्ठ सं०–...10...../टि० पर दिनांक–..06.06.2019..... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...11...../टि० पर दिनांक–..11.06.2019..... को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, कैमूर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ / कार्यपालक अभियंता, बुडको, कैमूर / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब० / बजट–14–11 / 2019 20 / न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 11/06/19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना / जिला पदाधिकारी, कैमूर / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ / कार्यपालक अभियंता, बुडको, कैमूर / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार / योजना एवं विकास विभाग / प्रबंध निदेशक, बुडको / वित्त विभाग (बजट प्रशाखा) / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु / कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।